

2021/610

प्रशासन गाँव के संग अभियान - 2021

खाता दुरुस्ती आवेदन -पत्र

(भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

सांगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बा.प.डा. की वर्तमान
जमाबंदी संवत् 2014-17 की खाता संख्या 22 में
मेरा अशुद्ध नाम / जाति नदी पुत्री बाना दर्ज है
जबकि मेरा शुद्ध नाम / जाति नदी पुत्री इन्द्यालाल है

अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

दिनांक :

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू.अभि.निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम / जाति नदी पुत्री इन्द्यालाल के
स्थान पर शुद्ध नाम / जाति नदी नदी पुत्री इन्द्यालाल दर्ज किया जाना उचित है
अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

भू. अभि.निरीक्षक वृत्त किशनपुर

कुशमल

पटवारी हल्का बेरीनाकला

प्रशासन गाँव के संग अभियान - 2021

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ~~बोसिनकला~~ तथा जाँच भू. अभि. निरीक्षक किशनपुरा के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति ~~नदी दूरी कल्याण~~ राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा की जाती है ।

तहसीलदार सांगोद

निर्णय

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी ~~बोसिनकला~~, जाँच भू. अभि. निरीक्षक किशनपुरा तथा तहसीलदार सांगोद की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम / जाति ~~नदी दूरी कल्याण~~ दर्ज रिकार्ड की जाए ।

उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद जिला सांगोद

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

(शिविर स्थान)

आदेश

दिनांक 16/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी)

व. भू. अ. नि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार)

नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व

जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	बायडा	२२	नही पड़ी जना	नही पड़ी अमलदार

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
.....
दिनांक :- 16/11/2021

क्रमांक :- 2761

प्रतिलिपि :- को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
.....